संख्या 27/02/2012-SRS
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

तृतीय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली
दिनांक : 22 जून, 2012

सेवा में,

1. मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ

2. मुख्य सचिव
उत्तराखंड सरकार,
देहारादून

विषय: श्री राम बाबू, प्रवक्ता, राजकीय महाविद्यालय, बदायू, उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड राज्य आवंटन पर विचार ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राम बाबू, प्रवक्ता, जन्तु विज्ञान का उत्तराखंड पुनरवंटन हेतु प्रत्यावेदन पर समिति द्वारा विचार किया गया । समिति के संज्ञान मे लाया गया कि यह प्रकरण श्री राम बाबू को उनकी पत्नी के मानसिक रोग के आधार पर चिकित्सकीय व्यथा के अंतर्गत राज्य परामर्शी समिति की बैठक में राज्य चिकित्सा परिषद की संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य पुनरावंटित किया गया है । इस संबंध में आदेश संख्या 27/10/2010-एसआरएस दिनांक 23-07-2010 भी जारी किया जा चुका है । श्री राम बाबू, प्रवक्ता द्वारा एक बार राज्य परिवर्तन की सुविधा का लाभ लिया जा चुका है । राज्य परिवर्तन की सुविधा किसी भी कार्मिक को एक बार ही प्राप्त हो सकती है । अतः समिति द्वारा श्री राम बाबू के प्रत्यावेदन को अस्वीकार किए जाने कि संस्तुति की गई ।

2. भारत सरकार समिति की संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार श्री राम बाबू, प्रवक्ता, उत्तर प्रदेश में बने रहेगे । संबन्धित कार्मिक से स्थिति के बारे में अवगत करवा दिया जाए ।

भवदीय,

(सारंगधर नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि:-

1. श्री प्रशांत त्रिवेदी, सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन समन्वय विभाग, 47, नवीन भवन, सचिवालय, लखनऊ -226001 ।

2. अपर सचिव(स्वतंत्र प्रभार), पुनर्गठन विभाग, उत्तराखंड सरकार, देहरादून ।

कार्मिक और प्रशिक्षण
Deptt. of Personnel & T.
प्राप्ति और निर्गम
Receipt & Issued
22 JUN
जारी